

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

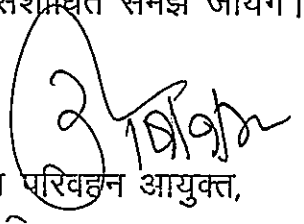
06/विविध (स्क्रेपिंग)-08-62/2024, 8013

दिनांक:- 19/9/2025

विभागीय पत्रांक-6255 दिनांक-02.08.2025 में उल्लेखित है कि बिहार राज्य में निबंधित वाहनों को ही बिहार राज्य में अवस्थित निबंधित यान स्क्रेपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से स्क्रेप किये जाने पर निर्गत COD पर कर में छूट का लाभ मिलेगा। अन्य राज्य में निबंधित वाहनों को बिहार राज्य में निबंधित यान स्क्रेपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से स्क्रेप किये जाने पर निर्गत COD पर कर में छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

उक्त विभागीय आदेश सं0-6255 दिनांक-02.08.2025 को संशोधित करते हुए कहना है कि अन्य राज्य में निबंधित वाहनों को भी बिहार राज्य में अवस्थित निबंधित यान स्क्रेपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से स्क्रेप किये जाने पर निर्गत COD पर कर में छूट का लाभ मिलेगा।

2. उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
3. एतदसंबंधी पूर्व में निर्गत सभी पत्र, परिपत्र आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

06/विविध (स्क्रेपिंग)-08-62/2024,

दिनांक:-

विभागीय पत्रांक-6255 दिनांक-02.08.2025 में उल्लेखित है कि बिहार राज्य में निबंधित वाहनों को ही बिहार राज्य में अवस्थित निबंधित यान स्क्रेपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से स्क्रेप किये जाने पर निर्गत COD पर कर में छूट का लाभ मिलेगा। अन्य राज्य में निबंधित वाहनों को बिहार राज्य में निबंधित यान स्क्रेपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से स्क्रेप किये जाने पर निर्गत COD पर कर में छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

उक्त विभागीय आदेश सं0-6255 दिनांक-02.08.2025 को संशोधित करते हुए कहना है कि अन्य राज्य में निबंधित वाहनों को भी बिहार राज्य में अवस्थित निबंधित यान स्क्रेपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से स्क्रेप किये जाने पर निर्गत COD पर कर में छूट का लाभ मिलेगा।

2. उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
3. एतदसंबंधी पूर्व में निर्गत सभी पत्र, परिपत्र आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

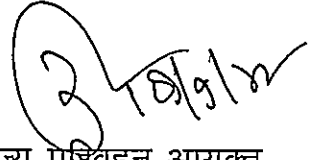
ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 8013

पटना, दिनांक:- 19/9/2025

प्रतिलिपि:-श्री रंजन कुमार सिंह, वरीय तकनीकी निदेशक, NIC, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

06/विविध (स्क्रेपिंग)-08-62/2024,

दिनांक:-

विभागीय पत्रांक-6255 दिनांक-02.08.2025 में उल्लेखित है कि बिहार राज्य में निबंधित वाहनों को ही बिहार राज्य में अवस्थित निबंधित यान स्क्रेपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से स्क्रेप किये जाने पर निर्गत COD पर कर में छूट का लाभ मिलेगा। अन्य राज्य में निबंधित वाहनों को बिहार राज्य में निबंधित यान स्क्रेपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से स्क्रेप किये जाने पर निर्गत COD पर कर में छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

उक्त विभागीय आदेश सं0-6255 दिनांक-02.08.2025 को संशोधित करते हुए कहना है कि अन्य राज्य में निबंधित वाहनों को भी बिहार राज्य में अवस्थित निबंधित यान स्क्रेपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से स्क्रेप किये जाने पर निर्गत COD पर कर में छूट का लाभ मिलेगा।

2. उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
3. एतदसंबंधी पूर्व में निर्गत सभी पत्र, परिपत्र आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-श्री रंजन कुमार सिंह, वरीय तकनीकी निदेशक, NIC, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 8013

पटना, दिनांक:- 19/9/2025

प्रतिलिपि:-सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट के नोटिस बोर्ड पर अपलोड किया जाय।

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।